Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 8, August - 2025

DOIs:10.2018/SS/202508001 --:-- Research Paper / Article / Review

झुग्गी बस्तियों में प्रवासी बच्चों की शिक्षा: एक अनदेखा पक्ष

जंयती श्रीवास्तव

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, विक्रांत यूनिवर्सिटी

E-mail - ananyasrivastav23@gmail.com

शोध सार: शहरी मलिन बस्तियाँ बड़े स्तर पर प्रवासी परिवारों का घर हैं जो बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं। हालाँकि, उनके बच्चों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह शोध पत्र मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक संघर्षों पर केंद्रित है, और एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है जिसे नीतिगत और शैक्षणिक चर्चाओं में बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन बच्चों के बीच शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझना, उनकी शैक्षिक यात्रा में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों की खोज करना है जो उनके सीखने में सहायक हो सकें। प्रमुख चुनौतियों में गरीबी, अस्थिर आवास, कानूनी दस्तावेजों का अभाव, भाषा संबंधी बाधाएँ, बार-बार स्थानांतरण और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। ये कारक कम नामांकन दर, अनियमित उपस्थिति और स्कूल छोड़ने की उच्च दर में योगदान करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण और केस स्टडी के माध्यम से, यह शोध पत्र प्रणालीगत कठिनाईयों और जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों, दोनों की जाँच करता है। यह मौजूदा सरकारी नीतियों और मलिन बस्तियों में शैक्षिक पहुँच में सुधार लाने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की भी समीक्षा करता है।

यह शोध प्रवासी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी और लचीले शैक्षिक मॉडल की आवश्यकता पर बल देता है। शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक समानता और सतत शहरी विकास के व्यापक लक्ष्यों के सफलता की भी आवश्यक शर्त है।

मुख्य शब्द : प्रवासी बच्चे, शहरी झुग्गी बस्तियाँ, शिक्षा तक पहुँच, शैक्षिक असमानता, बाल अधिकार, समावेशी शिक्षा, आंतरिक प्रवास, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ।

1. परिचय :

भारत जैसे विकासशील देशों में शहरीकरण के साथ झुग्गी बस्तियों का विस्तार एक बड़ी सामाजिक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। इन बस्तियों में बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार रहते हैं, जो बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आते हैं। दुर्भाग्यवश, इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा एक ऐसा पक्ष है जिसे अक्सर

अनदेखा कर दिया जाता है। ये बच्चे न केवल गरीबी, अस्थिर निवास, और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं, बल्कि शिक्षा प्रणाली में उनकी पहुँच भी सीमित होती है। यह अध्ययन उन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बाधाओं को उजागर करेगा जो इन बच्चों की शिक्षा में बाधा डालती हैं। शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का साधन भी है। अतः इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना न केवल उनका व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि समग्र सामाजिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है।

यह शोध झुग्गी बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति, शिक्षा में आने वाली प्रमुख बाधाओं, अब तक किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता तथा भविष्य में आवश्यक नीतिगत और सामाजिक कदमों का विश्लेषण करेगा, ताकि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

2. पृष्ठभूमि

भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अनगिनत शहरी मलिन बस्तियाँ विकसित हुई हैं, जो बड़ी संख्या में प्रवासियों का घर बन गई हैं। ये मलिन बस्तियाँ, जो अक्सर भीड़भाड़, अपर्याप्त आवास, स्वच्छता की कमी और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच से जूझ रही हैं, आर्थिक विकास के साथ-साथ जारी रहने वाली भीषण शहरी गरीबी को दर्शाती हैं। बेहतर रोज़गार के अवसरों और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी परिवार अक्सर असमर्थता और सुगमता के कारण इन अनौपचारिक बस्तियों में बस जाते हैं। प्रवास के सामाजिक और आर्थिक कारण विविध और जटिल हैं। सामान्य कारणों में दीर्घकालिक ग्रामीण गरीबी, बेरोज़गारी, कृषि आय की कमी, क्षेत्रीय असमानताएँ और कुछ मामलों में प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक अशांति के कारण विस्थापन शामिल हैं। हालाँकि शहर नौकरियों का वादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रवासी कम वेतन वाले, असुरक्षित और अनौपचारिक क्षेत्र के कामों में ही उलझ जाते हैं। उनका जीवन अस्थिरता, लंबे कार्य घंटों और खराब जीवन स्थितियों से भरा होता है, जिसका उनके बच्चों के कल्याण और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

प्रवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगातार आवास परिवर्तन, भाषा संबंधी बाधाएँ, पहचान दस्तावेजों का अभाव, काम करने की आर्थिक मजबूरी और माता-पिता में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर स्कूल में अनियमित उपस्थिति, कम ठहराव और स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है। ये बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और गरीबी व हाशिए के कुचक्र में फंसने का खतरा बना रहता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, भारत सरकार ने कई शिक्षा-केंद्रित नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और सीखने के परिणामों में सुधार करना है। हालाँकि, कार्यान्वयन में कमियों, राज्यों के बीच समन्वय की कमी और सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार के कारण शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों तक पहुँचने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता सीमित है।

3. प्रवासी बच्चों की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति भारत में एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हालाँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, फिर भी कई प्रवासी बच्चे या तो स्कूल से बाहर रह जाते हैं या बार-बार स्थानांतरण, गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण उनकी स्कूली शिक्षा बाधित होती है।

नामांकन और उपस्थिति

हालाँकि सरकारी आँकड़े नामांकन के बेहतर आँकड़े दिखा सकते हैं, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत को सही ढंग से नहीं दर्शाते। प्रवासी बच्चों को अक्सर जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों की कमी के कारण स्कूल में प्रवेश में देरी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, बार-बार प्रवास के कारण पढ़ाई में रुकावट आती है, जिससे नियमित उपस्थिति मुश्किल हो जाती है। यूनेस्को (2021) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 60% प्रवासी बच्चों को अनियमित स्कूली शिक्षा का सामना करना पड़ता है, और कई प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता

नामांकन के बाद भी, प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर घटिया होती है। भीड़भाड़ वाली कक्षाएँ, भाषा संबंधी बाधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालती हैं। प्रवासी बच्चे, खासकर गैर-हिंदी या गैर-स्थानीय भाषा पृष्ठभूमि वाले बच्चे, अनुकूलन के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीखने के परिणाम खराब होते हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023 में पाया गया कि कक्षा 5 में शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत कक्षा 2 के स्तर की पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ सकता या बुनियादी अंकगणित नहीं कर पा रहा है।

शहरी मलिन बस्तियों में प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों को चुनौतियों के एक जटिल जाल का सामना करना पड़ता है जो उनकी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। ये चुनौतियाँ संरचनात्मक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों में निहित हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की नीतियों के कार्यान्वयन में अनदेखा कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रवासी परिवारों के जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति है। रोज़गार की अनौपचारिक और असुरक्षित प्रकृति के कारण, परिवार अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह निरंतर गतिशीलता बच्चों की स्कूली शिक्षा को बाधित करती है, जिससे बार-बार स्कूल छोड़ने से सीखने में रुकावट आती है। अक्सर, जब तक बच्चा स्कूल के माहौल में ढलता है, तब तक परिवार फिर से स्थानांतरित हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक शैक्षणिक जुड़ाव मुश्किल हो जाता है।

प्रवासी बच्चे विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कई मामलों में, घर पर बोली जाने वाली भाषा स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम से अलग होती है। इस भाषाई अंतर के कारण बच्चों के लिए पाठ समझना, कक्षा में भाग लेना और अपनेपन की भावना महसूस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी समुदायों के बच्चों को अक्सर साथियों, शिक्षकों या स्कूल प्रणाली से सूक्ष्म या प्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को प्रभावित करता है। गरीबी प्रवासी बच्चों की शिक्षा की यात्रा को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। कई बच्चों को पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए बाल श्रम में धकेला जाता है–जैसे बाज़ारों, कारखानों में काम करना या घरेलू कामों में मदद करना। स्कूल में नामांकित होने के बावजूद, ये बच्चे अक्सर काम के बोझ के कारण कक्षाएं छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों के लिए, शिक्षा को अक्सर आवश्यकता के बजाय एक विलासिता के रूप में देखा जाता है, खासकर जब जीवनयापन दांव पर हो। शहरी झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में अक्सर शैक्षिक सुविधाओं की कमी होती है। आस-पास के सरकारी स्कूल भीड़भाड़ वाले, संसाधनों की कमी वाले या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी वाले हो सकते हैं। कई मामलों में, प्रवासी बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से ब्रिज कोर्स, सुधारात्मक कक्षाओं या परामर्श सेवाओं का कोई प्रावधान नहीं है। पाठ्यपुस्तकों, यूनिफ़ॉर्म, स्वच्छता सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच समस्या को और बढ़ा देती है।

4. समाज, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक और बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय, शैक्षिक बहिष्कार को दूर करने और इन कमज़ोर बच्चों के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी पहल और उनका प्रभाव

भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से कई योजनाएँ शुरू की हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और समग्र शिक्षा अभियान, बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण और नामांकन दर में सुधार के लिए स्कूलों को वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। हालाँकि इन योजनाओं ने नामांकन बढ़ाने में प्रगति की है, लेकिन दस्तावेज़ीकरण की कमी, मलिन बस्तियों में खराब कार्यान्वयन और अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई जैसी चुनौतियों के कारण ये अक्सर प्रवासी बच्चों तक पहुँचने में विफल रहती हैं।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा प्रयास

गैर-सरकारी संगठन औपचारिक प्रणालियों द्वारा छोड़े गए अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रथम, सेव द चिल्ड्रन, एड एट एक्शन और अन्य संगठन प्रवासी बच्चों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सामुदायिक शिक्षण केंद्र, मोबाइल कक्षाएँ और ब्रिज शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। ये पहल शिक्षा को सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए लचीले शिक्षण घंटे, उपचारात्मक शिक्षण और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करती हैं। कई गैर-सरकारी संगठन शिक्षा

के महत्व के बारे में विश्वास बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिभावकों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम करते हैं।

समुदाय-आधारित शिक्षण मॉडल

शैक्षणिक प्रयासों को बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। कई झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में, स्थानीय स्वयंसेवक और शिक्षक समुदाय के भीतर अनौपचारिक शिक्षण केंद्र चलाते हैं, जो सुलभ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा प्रदान करते हैं। ये केंद्र प्रारंभिक स्थानों के रूप में कार्य करते हैं जो बच्चों को औपचारिक स्कूलों में संक्रमण में मदद करते हैं। सहकर्मी से सहकर्मी शिक्षण, अभिभावक जुड़ाव और स्थानीय पाठ्यक्रम इन मॉडलों को अधिक अनुकूल और प्रभावी बनाते हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

पीपीपी मॉडल ने बुनियादी ढाँचे में सुधार, डिजिटल शिक्षा की शुरुआत और वंचित क्षेत्रों में शिक्षक क्षमता बढ़ाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। सरकारों, कॉर्पोरेट सीएसआर कार्यक्रमों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग नवाचार, जवाबदेही और उत्तरदायित्व ला सकता है। सफल पीपीपी परियोजनाओं ने बेहतर सुविधाओं और शिक्षण परिणामों के साथ मलिन बस्तियों में आदर्श स्कूल बनाए हैं।

5. केस स्टडी

प्रवासी बच्चों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं की एक सार्थक समझ मुंबई के घनी आबादी वाले मलिन बस्ती क्षेत्र गोवंडी के मामले से प्राप्त की जा सकती है, जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आए हज़ारों प्रवासी परिवार रहते हैं।

गोवंडी के बच्चों को जिन आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह हैं आस-पास स्कूलों का अभाव, कक्षाओं में भीड़भाड़, और प्रवास या आर्थिक दबाव के कारण स्कूल से निकाले जाने का लगातार खतरा। हालाँकि, गैर-सरकारी संगठन प्रथम के एक उल्लेखनीय हस्तक्षेप ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से कार्यान्वित प्रथम का "रीड इंडिया" कार्यक्रम 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंकगणित पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में बच्चों को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कम लागत वाली शिक्षण सामग्री, मातृभाषा में शिक्षा और सहकर्मी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया गया। एक वर्ष के भीतर, भाग लेने वाले 65% से अधिक बच्चों ने पढ़ने और अंकगणितीय कौशल में उल्लेखनीय सुधार दिखाया।

इस संदर्भ में एक व्यक्तिगत कहानी ऐसे प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है। रेखा, एक प्रवासी परिवार की 10 वर्षीय लड़की, बार-बार स्थानांतरण के कारण कभी स्कूल नहीं जा पाई थी। प्रथम शिक्षण केंद्र में दाखिला लेने के बाद, उसने न केवल पढ़ना-लिखना सीखा, बल्कि एक शिक्षिका बनने में भी रुचि दिखाई। सामुदायिक सहयोग से, बाद में उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, जहाँ वह अभी भी पढ़ाई कर रही है।

यह केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे स्थानीयकृत, समुदाय-संचालित और लचीले शैक्षिक हस्तक्षेप प्रवासी बच्चों के लिए इस अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं। यह समुदाय के भीतर विश्वास का निर्माण करने, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने और गतिशीलता के बावजूद निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर भी ज़ोर देती है। ऐसी सफलता की कहानियाँ दर्शाती हैं कि लक्षित समर्थन और समन्वय के साथ, सबसे कम संसाधन वाले परिवेश में भी सार्थक परिवर्तन संभव है।

6. समाधान और सुझाव

शहरी मलिन बस्तियों में प्रवासी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन, समावेशी और निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पहचानी गई चुनौतियों के आधार पर, निम्नलिखित समाधान और सुझाव इन बच्चों के लिए एक अधिक न्यायसंगत और प्रभावी शैक्षिक वातावरण बनाने के उद्देश्य से हैं।

मोबाइल स्कूल, ब्रिज कोर्स और डिजिटल लर्निंग

प्रवासी परिवारों की लगातार आवाजाही को देखते हुए, शैक्षिक वातावरण को लचीला बनाया जाना चाहिए। मोबाइल स्कूल–शिक्षण सहायक सामग्री और स्वयंसेवी शिक्षकों से सुसज्जित वैन–निर्माण स्थलों और अनौपचारिक बस्तियों में बच्चों तक पहुँच सकते हैं। ब्रिज कोर्स स्कूल न जाने वाले बच्चों को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने और औपचारिक स्कूलों में जाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म और ऑफ़लाइन मोबाइल ऐप का उपयोग इंटरनेट की पहुँच के बिना भी, निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षा-प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सरकारी साझेदारी कई भाषाओं में सामग्री वितरण को बेहतर बना सकती है।

समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी

स्थायी प्रभाव के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। जागरूकता अभियान, अभिभावक-शिक्षक बैठकें और स्थानीय स्वयंसेवक विश्वास को मज़बूत कर सकते हैं और नामांकन बढ़ा सकते हैं। अभिभावक संवेदीकरण कार्यक्रम प्रवासी परिवारों को शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों को समझने में मदद कर सकते हैं। स्थानीय युवाओं को शिक्षा समन्वयक के रूप में प्रशिक्षित करने से शिक्षकों और प्रवासी बच्चों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को पाटा जा सकता है।

नीतिगत सुधार और बेहतर कार्यान्वयन:

मौजूदा शिक्षा नीतियों को प्रवासी आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। स्कूल रिकॉर्ड की सुवाह्यता, कठोर दस्तावेज़ीकरण के बिना लचीला स्कूल प्रवेश और अंतर-राज्यीय समन्वय महत्वपूर्ण हैं। शहरी मलिन बस्तियों के स्कूलों को पर्याप्त धन और स्टाफ प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, खासकर उच्च-प्रवासन क्षेत्रों में, और शिक्षा को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली

प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, निरंतर निगरानी और डेटा संग्रह आवश्यक हैं। प्रवासी बच्चों की स्कूल स्थिति की वास्तविक समय पर नज़र रखने से स्कूल छोड़ने वालों को रोकने में मदद मिल सकती है। हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने और कमियों की पहचान करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट और सामुदायिक प्रतिक्रिया तंत्र भी स्थापित किए जाने चाहिए।

7. निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम जैसे संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, जमीनी हकीकत आदर्श से कोसों दूर है। बार-बार स्थानांतरण, गरीबी, दस्तावेजों की कमी, भाषाई अंतर और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसी बाधाएँ इन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा बनी हुई हैं। यद्यपि कई सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पहलों ने इन मुद्दों के समाधान का प्रयास किया है, फिर भी उनकी पहुँच और प्रभावशीलता सीमित और असमान बनी हुई है। अधिक लचीले, स्थानीयकृत और बाल-केंद्रित मॉडलों की सख्त आवश्यकता है जो प्रवासी जीवन की वास्तविकताओं के अनुकूल हो सकें। भविष्य के शोध में शहरी मलिन बस्तियों की शिक्षा में दीर्घकालिक प्रभाव आकलन, प्रभावी नीति कार्यान्वयन रणनीतियों और मापनीय नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अधिक समावेशी और लचीला शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, समुदायों और निजी भागीदारों के बीच सहयोग आवश्यक है।

अंततः, यह पत्र प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक जीवंत वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत के समतामूलक और समावेशी विकास की यात्रा में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

संदर्भ सूची

1. शिक्षा विभाग, भारत सरकार. (2020). शिक्षा का अधिकार अधिनियम – कार्यान्वयन सारांश (pp. 10–30). नई दिल्ली: भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।

2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2021). सर्व शिक्षा अभियान: प्रगति रिपोर्ट (pp. 23–45). नई दिल्ली: भारत सरकार प्रेस।

3. National Council of Educational Research and Training. (2022). Annual Status of Education Report 2022 (pp. 112–140). New Delhi: NCERT.

4. भारत सरकार. (2019). National Education Policy 2020 – Synopsis and Roadmap (pp. 7–29). नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

5. Census of India. (2011). Primary Census Abstract – Urban Agglomerations & Migrant Patterns (pp. 56–78). नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल एवं लोकगणना आयुक्त।

6. प्रथम् (Pratham). (2020). शहरी शिक्षा पहल: वार्षिक रिपोर्ट (pp. 15–38). मुंबई: Pratham Education Foundation.

7. सेव द चिल्ड्रन इंडिया. (2019). मोबाइल स्कूल्स इन अर्बन स्लम्स: केस स्टडी (pp. 5–22). नई दिल्ली: Save the Children।

8. एड एट एक्शन (Aide et Action). (2021). ब्रिज कोर्स मॉडल फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रन (pp. 42–64). कोलकाता: Aide et Action.

9. नारंग, व., एवं कौर, स. (2020). Educational challenges of migrant children in India. Journal of Urban Education, 15(2), 89–112.

10. शर्मा, र. (2018). प्रवासन और भारत में शिक्षा तक पहुँच (pp. 101–130). New Delhi: Routledge India.

11. बनर्जी, स. (2019). Language barriers in slum education: A field study. Indian Journal of Education, 27(1), 45–62.

12. चक्रवर्ती, प., एवं दास, अ. (2022). Community-led educational models: Lessons from Kolkata. International Journal of Community Education, 8(4), 200–223.

13. यूनेस्को (UNESCO). (2021). Migrant Children's Education in Urban Settings: Global & India Focus (pp. 50–75). Paris: UNESCO Publishing।

14. पटेल, न. (2020). Impact of poverty on urban slum schooling in Mumbai. In सिंह, र. (Ed.), Urban Education in India (pp. 180–205). New Delhi: Sage Publications.

15. विश्व बैंक (World Bank). (2023). Education in Indian Cities: State of the Sector (pp. 98–125). Washington, DC: World Bank.